कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान सरकार के मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम 1996 के अंतर्गत कार्मिक विभाग एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के कार्यालयों के माध्यम से प्राप्त प्रकरणों का परीक्षण करने के उपरांत राज्य सरकार के आदेश क्रमांक ए–5(51)कार्मिक/ क–2/88–1 दिनांक 29–4–99 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मृतक आश्रितों की संलग्न सूची के अनुसार **62 कनिष्ठ सहायक** पद एवं **09 सहायक कर्मचारी पद** के कुल **71** अभ्यार्थियों की अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियमों के अंतर्गत नियुक्ति का अनुमोदन किया जाकर जिला आवंटन किया जाता हैं।

नियुक्ति अधिकारी नियुक्ति आदेश जारी करने से पूर्व निम्न शर्तो की पालना सुनिश्चित करेगें :–

1. **राज्य सरकार के मृतक राज्य कर्मचारियों के आश्रितों में से कनिष्ठ सहायक/सहायक कर्मचारी के पद पर नियुक्ति/पदस्थापन आदेश जारी करने से पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी (मु.), मा.शि. आवेदकों की शैक्षिक/प्रशैक्षिक संबंधी योग्यता के मूल प्रमाण–पत्र प्राप्त कर उनकी वैधता एवं मान्यता आदि की पूर्ण जॉच करें एवं योग्यता के बारे में पात्रता रखने पर ही नियुक्ति आदेश जारी करें। राज्य से बाहर की डिग्रियां/प्रमाण पत्र के सत्यापन/वैधता एवं मान्यता के संबंध में सावधानी पूर्वक प्रत्येक प्रकरण की जॉच करेगें।**
2. मृत राज्य कर्मचारियों के परिवार का कोई भी सदस्य किसी सरकारी /केन्द्र/निगम बार्ड या उपक्रम में कार्य ग्रहण तिथि तक नियोजित नहीं है इस हेतु अनुकम्पात्मक नियमों के नियम 5 के अनुसार शपथ पत्र आश्रित से प्राप्त करें । (मृतक की पत्नी पर यह नियम लागू नहीं होगा।)
3. मृतक की पुत्री की नियुक्ति हेतु अनुमोदन किया गया हो तो उसके पदस्थापन के समय तक वह अविवाहित है इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त करें।
4. कार्मिक विभाग के परिपत्र आदेश दिनांक 27.02.2001 द्वारा जारी निर्देशों की पालना में मृतक के आश्रितों के पालन पोषण/भरण पोषण करने संबंधी शपथ पत्र प्राप्त करेंगे । कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 27.02.2001 की पालना नहीं करने की स्थिति में नियुक्ति समाप्त की जा सकती हैं ।
5. दत्तक पुत्र, पुत्रियों के संबंध में वैधता की जांच हिन्दु दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 के प्रावधानानुसार करेंगे ।
6. राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक एफ–7(1) कार्मिक (क–2) (95) दिनांक 08.04.2003 के अनुसार दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक संतान होने की स्थिति में नियुक्ति के पात्र नहीं माने जावेंगे, किन्तु राज्य सरकार (डीओपी) के आदेश दिनांक 29.10.2005 के अनुसार विधवा की नियुक्ति में यह प्रावधान लागू नहीं होंगे।
7. संलग्न सूचियों में अंकित अभ्यर्थियो के नियुक्ति आदेश राज्य सरकार के नोटिफिकेशन क्रमांक 7 (2) डीओपी/ए–11/06 दिनांक 20.01.2006 एवं वित (नियम डीविजन) विभाग के नोटिफिकेशन क्रमांक एफ 12 (6) एफ डी /रूल्स/06 दिनांक 13.03.2006 के अनुसार प्रोबेशन ट्रेनीज के रूप में किया जा कर फिक्स रेमुनरेशन पर नियुक्ति अनुमोदन की जाती हैं ।
8. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशन ट्रेनीज) की अवधि में फिक्स रेमुनरेशन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते यथा मंहगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, मंहगाई वेतन (डीपी) विशेष वेतन, बोनस आदि देय नहीं होगा ।
9. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशन ट्रेनीज) की अवधि में राज्य बीमा की कटौती नहीं होगी ।
10. वित्त विभाग के आदेश कमांक प.2(2)वित्त (नियम) 2021 पार्ट जयपुर दिनांक 25.05.2022 एवं 26.05.2022 तथा राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए जाने वाले आदेशों के अनुसार सामान्य प्रावधायी निधि की नियमानुसार मासिक कटौती की जावेगी।
11. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिये गणना योग्य नहीं माना जावेगा ।

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

12. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में इन्हें कलेण्डर वर्ष में केवल 15 दिन का ही आकस्मिक अवकाश देय होगा । पूर्ण कलेण्डर वर्ष से कम अवधि होने पर पूर्ण माह के आधार पर आकस्मिक अवकाश अनुज्ञात किया जावेगा।

13. कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्त अभ्यर्थी राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 7(2) कार्मिक/ ए–II/ 2006 दिनांक 05.07.2010 एवं कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 21.09.2010 के अनुसार शैक्षणिक योग्यता प्राप्त होना चाहिये तथा उक्त नियमों के अन्तर्गत कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 02.01.2017 व 04.05.2017 के अनुसार मृतक आश्रित को कम्प्यूटर कोर्स उत्तीर्ण करने की अर्हता नियुक्ति के पश्चात् दो वर्ष की अवधि में अर्जित करनी होगी। यदि उक्त अवधि में कम्प्यूटर योग्यता अर्जित नहीं करता है, तो जितनी विलम्ब अवधि से वह कम्प्यूटर योग्यता अर्जित करेगा उसका परिवीक्षाकाल उतनी ही अवधि का आगे बढ़ जायेगा। जिन प्रकरणों में शिथिलन प्राप्त है तथा जो प्रकरण कार्मिक विभाग से जरिए आदेश इस विभाग को स्थानातरित है, उनसे संबंधित आदेशों में दी गई शर्तो की पूर्ण अनुपालना नियुक्ति अधिकारी अपने स्तर पर सुनिश्चित करें।

14. कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्त अभ्यर्थी की टंकण परीक्षा अब कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 05.07.2010 एवं 02.01.2017 के अनुसार कम्प्युटर से ली जावेगी जिसे आश्रित को नियुक्ति के तीन वर्ष की अवधि में उत्तीर्ण करनी अनिवार्य होगी, अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिये जावेगें। इन्हे आगामी वेतन वृद्धि टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् ही देय होगी। कार्मिक (क–2) विभाग राजस्थान, जयपुर की अधिसूचना दिनांक 07.09.2009 के अनुसार मृत राज्य कर्मचारी की विधवा को टंकण परीक्षा करने से छूट दी जायेगी।

15. राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अन्य निर्देशों की पालना भी सुनिश्चित करेंगे तथा नियुक्ति अधिकारी मृतक आश्रित के अच्छे आचरण का सत्यापन सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक से करवाने के पश्चात ही आदेश जारी करेंगें ।

16. राज्य सरकार की अधिसूचना एफ–5(51)डीओपी/ए–।।/88 पीटी जयपुर दिनांक 08.04.2015 के अनुसार नियम–5 में हुए संशोधन की पालना सुनिशिचित करें।

17. माध्यमिक शिक्षा सेटअप में स्वीकृत स्टाफिंग पेटर्न के अनुसार ही पदस्थापन किया जाये।

18. कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना दिनांक प.5 (51) कार्मिक/क–2/88 पार्ट जयपुर दिनांक 31.05.2016 के अनुसार आवेदक विवाहित है तो उसकी पत्नी/पुत्र/अविवाहित पुत्री यदि पूर्व से ही (नियम–5 में यथा परिभाषित) नियोजित है, को मृतक कर्मचारी पर पूर्णतया आश्रित न होने के कारण, नियम–2 (ग) के तहत आश्रित की श्रेणी में नहीं माना जायेगा। फलतः ऐसे पुत्र को अनुकम्पात्मक नियुक्ति देय नहीं होगी।

19. जिन अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष पूर्ण नहीं हुई है उन्हे ऐसे पद पर नियुक्ति प्रदान की जावे जिस पर किसी प्रतिभूति की आवश्यकता नहीं हो ।

20. राज्य सरकार के आदेशानुसार धुम्रपान नहीं करने तथा दहेज नहीं लेने के सम्बन्ध में आवेदक से नियमानुसार शपथ–पत्र प्राप्त करें। जिन अभ्यर्थियों के प्रकरण में मृतक/आवेदक के नाम/उपनाम में विसंगति होने पर नियमानुसार यथेष्ट भाषा में शपथ पत्र लेवे।

21. जिन प्रकरणों में कार्मिक विभाग/शासन से शिथिलन प्राप्त है, उन प्रकरणों में प्राप्त शिथिलन में निहित शर्तो की अनुपालना की जावें।

22. जिन प्रकरणो मे शिथिलन प्रदान किया गया है एवं जो अन्य विभाग के होने के कारण कार्मिक विभाग से प्राप्त हुए हैं उसमें शिथिलन आदेश में वर्णित शर्तो एवं कार्मिक विभाग से प्राप्त होने वाले प्रकरणों मे कार्मिक विभाग के पत्र मे वर्णित शर्तो की अनुपालना होने पर ही नियुक्ति आदेश जारी करें। इस हेतु नियुक्ति आदेश जारीकर्ता स्वयं जिम्मेदार होगा।

23. विधवा आवेदक के प्रकरणों में यदि पति की जाति जोड़कर आवेदन किया गया है तो नियुक्ति अधिकारी नियुक्ति आदेश जारी करने से पूर्व अपने स्तर पर नाम विसंगति के संदर्भ में पूर्ण पुष्टि करते हुए पुष्टि होने पर ही नियुक्ति आदेश जारी करे तथा विवाहित आवेदक के संबंध में नियम–5 का जिशिअ का प्रमाण पत्र, आवेदक का शपथ पत्र एवं आवेदक की पत्नी का नियम–5 का शपथ पत्र प्राप्त करें। अविवाहित आवेदक के संदर्भ में वैवाहिक स्थिति का अद्यतन शपथ पत्र प्राप्त कर नियुक्ति आदेश जारी करें। यदि वैवाहिक स्थिति में अंतर है तो

Rajasthan Education Department

आवेदक के आश्रितों के संबंध में नियम–5 के समस्त दस्तावेज (आवेदक व आवेदक की पत्नी का शपथ पत्र, आवेदक के आश्रित परिवार के संबंध में जिशिअ का प्रमाण पत्र) प्राप्त होने के उपरांत ही नियुक्ति आदेश जारी करें ।

24. आवेदक की जन्मतिथि के संबंध में नियुक्ति अधिकारी अपने स्तर पर प्रथमतः शैक्षणिक योग्यता/टीसी (सक्षम स्तर से प्रमाणित) एवं केवल, आवेदक के विद्यालय प्रवेश नहीं होने की स्थिति में नियमानुसार सक्षम स्तर से जारी जन्म प्रमाण पत्र से पुष्टि करने के उपरांत ही **जिला शिक्षा अधिकारी (मु.), मा.शि.** नियुक्ति आदेश जारी करें ।

चूंकि विभाग में कनिष्ठ सहायक/सहायक कर्मचारी के लिए जिला शिक्षा अधिकारी नियुक्ति अधिकारी है, अतः उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करते हुवे संलग्न सूची के अनुसार पदस्थापन आदेश 15 दिवस के भीतर जारी कर पदस्थापन आदेश 02 प्रतियों में इस कार्यालय को आवश्यक रूप से भिजवाऍं एवं आदेश की प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा करेंगे ।

उक्त आदेश जारी कर दो प्रतियॉं उप शासन सचिव शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, राज0 जयपुर, एक प्रति उप शासन सचिव कार्मिक (क–2) विभाग, शासन सचिवालय,राज0 जयपुर को एवं इस कार्यालय को भी भिजवाना सुनिश्चित करें ।

स्थिर पारिश्रमिक कनिष्ठ सहायक 14,600/–रू. मासिक एवं स्थिर पारिश्रमिक सहायक कर्मचारी 12,400/–

क्र. सं.	आवेदक का नाम व जन्मतिथि	मृतक से सम्बन्ध	आवेदन तिथि व आवेदित पद	मृतक का नाम मय पदनाम स्व. श्री/श्रीमती	संबंधित जिला	आवंटित जिला
1	2	3	4	5	6	7
1	सुमन मीणा 02–9–1988	पत्नी	27–09–2019 कनिष्ठ सहायक	योगेश कुमार मीणा जलवाहक, क–2	जयपुर	जयपुर
2	यज्ञपाल स्वामी 12–11–2000	पुत्र	25–10–2021 कनिष्ठ सहायक	छाजुराम स्वामी हैड का.नि., क–2	जयपुर	जयपुर
3	राकेश कुमार चौधरी 13–11–1988	पुत्र	24–01–2022 कनिष्ठ सहायक	हेंमराज चौधरी अध्यापक, माशि	जयपुर	जयपुर
4	सुनील कुमार चौधरी 03–4–1999	पुत्र	24–08–2022 कनिष्ठ सहायक	गणेशनारायण जाट अध्यापक, माशि	जयपुर	जयपुर
5	संगीता राठौड़ 12–11–1992	पत्नी	08–10–2021 कनिष्ठ सहायक	विष्णु सिंह व्याख्याता, माशि	जयपुर	जयपुर
6	सुजाता गहलोत 02–07–1997	पुत्री	15–09–2022 कनिष्ठ सहायक	मीरा कुमारी व.अ., माशि	जयपुर	जयपुर
7	सुमन शर्मा 11–08–1984	पत्नी	26–03–2022 कनिष्ठ सहायक	रामकिशन शर्मा व.अ., माशि	अलवर	दौसा
8	उदितराज जगरिया 16–01–2002	पुत्र	22–01–2021 कनिष्ठ सहायक	लक्खोराम कानि., क–2	अलवर	जयपुर
9	शाहिल खान 10–05–2000	पुत्र	22–11–2021 कनिष्ठ सहायक	हाकमदीन कानि, क–2	अलवर	अलवर
10	प्रकाश चंद मीना 25–11–1983	पुत्र	21–08–2020 कनिष्ठ सहायक	हरिकिशन मीना वरि. प्रशास	अलवर	अलवर
11	रवि कुमार सैन 05–8–1994	पुत्र	16–05–2022 कनिष्ठ सहायक	मोहनलाल नापित चश्रेक, माशि	दौसा	दौसा
12	गौतम कुमार चौधरी 24–3–1992	पुत्र	15–09–2022 कनिष्ठ सहायक	मांगीलाल चौधरी व.अ., माशि	जोधपुर	जोधपुर

Rajasthan Education Department

क्र. सं.	आवेदक का नाम व जन्मतिथि	मृतक से सम्बन्ध	आवेदन तिथि व आवेदित पद	मृतक का नाम मय पदनाम स्व. श्री/श्रीमती	संबंधित जिला	आवंटित जिला
1	2	3	4	5	6	7
13	कुलदीप बजाड़ 01–01–2000	पुत्र	24–06–2022 कनिष्ठ सहायक	बाबूराम मेघवाल चश्रेक, माशि	जोधपुर	जोधपुर
14	सुरेश कुमार 15.07.1998	पुत्र	18–07–2022 कनिष्ठ सहायक	चूना राम साहेलिया अध्यापक., माशि	बाडमेर	बाड़मेर
15	हितेश बोसिया 23–07–2000	पुत्र	12–05–2022 कनिष्ठ सहायक	आईदानराम बोसिया चश्रेक, माशि	बाडमेर	बाड़मेर
16	मोती खान 02.02.2003	पुत्र	06–09–2022 कनिष्ठ सहायक	रामतला शा.शि.., माशि	जैसलमेर	जैसलमेर
17	मेहुल व्यास 06–9–2003	पुत्र	26–02–2022 कनिष्ठ सहायक	दाऊलाल व्यास अध्यापक, माशि	पाली	पाली
18	समीना बानो 30–6–1984	पत्नी	05–08–2021 कनिष्ठ सहायक	अल्लादीन सोलंकी व.अ., माशि	पाली	पाली
19	दियारानी 02–12–2003	पुत्री	06–12–2021 कनिष्ठ सहायक	मीना परिहार अध्यापिका, मावि	पाली	पाली
20	पवन कुमार 13–1–2004	पुत्र	07–03–2022 कनिष्ठ सहायक	लक्ष्मण कुमार मीणा सप्रअ, माशि	पाली	सिरोही
21	भरत सिंह 14–08–1992	भाई	19–11–2021 कनिष्ठ सहायक	अर्जुन सिंह बालोत चश्रेक, माशि	जालौर	जालौर
22	मंजू देवी 15–12–1987	पत्नी	05–06–2020 कनिष्ठ सहायक	रणजीत निठारवाल पशुधन सहायक, क–2	जालौर	सीकर
23	सचिन कुमार 18–11–1999	पुत्र	04–10–2022 कनिष्ठ सहायक	कपूराराम मेघवाल अध्यापक, माशि	सिरोही	सिरोही
24	पिंकी कुंवर चौहान10–10–1988	पत्नी	16–02–2022 कनिष्ठ सहायक	दीनदयाल सिंह कानि, क–2	उदयपुर	डूंगरपुर
25	अनामिका अग्रवाल 19.04.1998	पुत्री	05.07.2021 कनिष्ठ सहायक	रजनी अग्रवाल प्र. अ. माशि	उदयपुर	उदयपुर
26	रविन्द्र कुमार 25–5–1980	पति	12–01–2021 कनिष्ठ सहायक	मैनाराव व.अ., माशि	राजसमंद	कोटा
27	संगीता शर्मा 10–9–1977	पत्नी	24–08–2022 कनिष्ठ सहायक	गौतम प्रकाश शर्मा व.अ., माशि	राजसमंद	राजसमंद
28	शीला कीर 14–11–1983	पत्नी	31–08–2022 कनिष्ठ सहायक	सुरेश चन्द्र कीर अध्यापक, माशि	राजसमंद	राजसमंद
29	लिलेश कुमार डांगे 08.09.2003	पुत्र	30–05–2022 कनिष्ठ सहायक	महेश कुमार डांगे वरिष्ठ सहायक, माशि	राजसमंद	राजसमंद
30	दशरथ सिंह 14–9–2003	पुत्र	10–2–2022 कनिष्ठ सहायक	चिमन सिंह चश्रेक, माशि	राजसमंद	राजसमंद
31	नरेन्द्र सिंह राव 20–12–1986	पुत्र	14–09–2021 कनिष्ठ सहायक	करण सिंह उ.नि., क–2	राजसमंद	राजसमंद

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

क्र. सं.	आवेदक का नाम व जन्मतिथि	मृतक से सम्बन्ध	आवेदन तिथि व आवेदित पद	मृतक का नाम मय पदनाम स्व. श्री / श्रीमती	संबंधित जिला	आवंटित जिला
1	2	3	4	5	6	7
32	परीक्षित उज्ज्वल 17–08–1997	पुत्र	12–08–2021 कनिष्ठ सहायक	हिम्मत दान पुलिस निरीक्षक, क–2	चितौडगढ	जोधपुर
33	लाजवंती चौहान 15.01.1988	पत्नी	24–01–2022 कनिष्ठ सहायक	पुरण सिंह सारगंदेवोत कानि. क–2	चितौडगढ	चितौड़गढ़
34	तनुजा 05.08.2002	पुत्री	27–08–2021 कनिष्ठ सहायक	सहदेव सिंह कानि. क–2	डूंगरपुर	भरतपुर
35	भागीरथ सोनी 10–7–1984	पुत्र	26–07–2022 कनिष्ठ सहायक	संतलाल सोनी चश्रेक, माशि	चूरू	चूरू
36	खुशबू राठौड़ 18–7–1994	पुत्री	29–09–2021 कनिष्ठ सहायक	विक्रम सिंह सउनि, क–2	चूरू	चूरू
37	अनुराधा 21–10–1992	पत्नी	12–08–2021 कनिष्ठ सहायक	विजयपाल पशुधन सहायक,क–2	झुंझुंनू	झुंझुनू
38	लक्ष्मी 20–7–1992	पत्नी	10–06–2021 कनिष्ठ सहायक	विकास कानि, क–2	दिल्ली	झुंझुंनू
39	जयवीर सिंह राजावत 13–8–2002	पुत्र	01–11–2021 कनिष्ठ सहायक	चैनसिंह का.नि., क–2	बीकानेर	बीकानेर
40	उर्मिला सोनी 12–07–1985	पत्नी	06–08–2021 कनिष्ठ सहायक	हेमवती नन्दन सोनी व.अ. माशि	बीकानेर	बीकानेर
41	अंकित कुमार बेनीवाल 01–09–2001	पुत्र	02.03–2022 कनिष्ठ सहायक	नरेश कुमार चश्रेक. माशि	हनुमानगढ	हनुमानगढ
42	अनमोल यादव 02–06–2003	पुत्र	04–06–2021 कनिष्ठ सहायक	विजय सिंह कानि क–2	हनुमानगढ	हनुमानगढ
43	श्रुति सैन 15–07–2001	पूत्री	18–06–2022 कनिष्ठ सहायक	पन्नालाल चश्रेक. माशि	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर
44	निशा मीना 06–05–1995	पत्नी	08–10–2021 कनिष्ठ सहायक	पवन कुमार कानि. क–2	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर
45	दिलप्रीत सिंह 28–12–1991	पुत्र	09–03–2022 कनिष्ठ सहायक	हरविन्द्र सिंह अ., माशि	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर
46	सरिता सांगवा 01–3–1988	पत्नी	28–03–2022 कनिष्ठ सहायक	धर्माराम कानि. क–2	नागौर	नागौर
47	ज्योति सोनी 11–3–1992	पत्नी	30–03–2022 कनिष्ठ सहायक	ख्यालीलाल सोनी व. अ., माशि	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा
48	दिनेश सिंह राव 05–7–1989	पुत्र	06–05–2022 कनिष्ठ सहायक	मनोहरलाल राव चश्रेक., माशि	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा
49	शाहरूख खान 07–9–1996	पुत्र	05–05–2020 कनिष्ठ सहायक	सुल्तान मोहम्मद है.कानि., क–2	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

क्र. सं.	आवेदक का नाम व जन्मतिथि	मृतक से सम्बन्ध	आवेदन तिथि व आवेदित पद	मृतक का नाम मय पदनाम स्व. श्री / श्रीमती	संबंधित जिला	आवंटित जिला
1	2	3	4	5	6	7
50	निरमा चांगल 02–11–1997	पत्नी	21–01–2022 कनिष्ठ सहायक	कैलाश बसवाणा कानि, क–2	कोटा	नागौर
51	त्रिभुवन सिंह 11–01–1999	पुत्र	22–02–2022 कनिष्ठ सहायक	राजेन्द्र सिंह पंवार अध्यापक, माशि	कोटा	कोटा
52	ऋषिराज मीणा 05–08–1988	पुत्र	28–03–2022 कनिष्ठ सहायक	भवानी शंकर मीणा अध्यापक, माशि	कोटा	कोटा
53	राजीव गौतम 13–02–2003	पुत्र	19–02–2022 कनिष्ठ सहायक	जितेन्द्र कुमार गौतम कानि. क–2	कोटा	झालावाड़
54	रामकृष्ण शर्मा 27–11–1999	पुत्र	13–12–2021 कनिष्ठ सहायक	सुभाष चन्द्र शर्मा कानि, क–2	कोटा	सीकर
55	कमलेश प्रजापत 11–7–1991	पुत्र	17–12–2021 कनिष्ठ सहायक	शिवलाल कुम्हार अध्यापक, माशि	कोटा	कोटा
56	राहुल भारती 12–6–2001	पुत्र	12–3–2022 कनिष्ठ सहायक	राजूलाल कानि, क–2	कोटा	जयपुर
57	महेन्द्र कुमार मीणा 04–7–1993	पुत्र	24–6–2022 कनिष्ठ सहायक	बद्रीलाल मीना वअ, माशि	कोटा	कोटा
58	आकाश मेहर 13–7–1996	पुत्र	12–7–2022 कनिष्ठ सहायक	रामप्रसाद मेहरा 23–5–22	बूंदी	बूंदी
59	देवेश डाबर 31–7–2001	पुत्र	29–8–2022 कनिष्ठ सहायक	बाबूलाल भील अध्यापक, माशि	बारां	बारां
60	रेखा कुम्भज 11–10–1979	पत्नी	05–07–2022 कनिष्ठ सहायक	दिलीप कुमार शर्मा व्याख्याता, माशि	सवाई माधोपुर	सवाई माधोपुर
61	आयुष लवानियां 21–7–2005	पुत्र	22–09–2021 कनिष्ठ सहायक	मुकेश चंद हैड कानि, क–2	भरतपुर	भरतपुर
62	परमेश्वर गुर्जर 27–5–1996	दत्तक पुत्र	26–07–2021 कनिष्ठ सहायक	मीना कुमारी गुर्जर व्याख्याता, माशि	भीलवाड़ा	अजमेर
63	अनीता 16–7–1990	पत्नी	14–7–2022 च.श्रे.क.	मनोज कुमार व.अ., माशि	भरतपुर	भरतपुर
64	राजकुमार बैरवा 01–1–1995	पुत्र	28–4–2022 च.श्रे.क.	बत्तीलाल बैरवा चश्रेक, माशि	करौली	बूंदी
65	प्रवीण कुमार कुम्हार 04–3–1995	पुत्र	04–8–2022 च.श्रे.क.	रामलाल कुम्हार चश्रेक, माशि	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा
66	अमित सोनी 31–8–1995	पुत्र	04–01–2022 च.श्रे.क.	रामरतन सोनी व.स. माशि	अजमेर	जयपुर
67	प्रकाश मंडिया 11–2–1991	पुत्र	18–08–2022 च.श्रे.क.	कलावती चश्रेक, माशि	अजमेर	अजमेर
68	सुरेन्द्र सिंह 10–7–1995	पुत्र	05–9–2022 च.श्रे.क.	गंगासिंह चश्रेक, माशि	झुंझुनू	झुंझुनू

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

क्र. सं.	आवेदक का नाम व जन्मतिथि	मृतक से सम्बन्ध	आवेदन तिथि व आवेदित पद	मृतक का नाम मय पदनाम स्व. श्री / श्रीमती	संबंधित जिला	आवंटित जिला
1	2	3	4	5	6	7
69	रेखा देवी 10–10–1992	पत्नी	16–9–2022 च.श्रे.क.	सुभाष कुमार चश्रेक, माशि	सीकर	सीकर
70	सुरभी भवरानी 25–10–1993	पुत्री	22–6–2021 च.श्रे.क.	जानकी गुनानी अध्यापिका, माशि	उदयपुर	उदयपुर
71	रवि कुमार 07.07.1996	दत्तक पुत्र	06–9–2017 च.श्रे.क.	जोधाराम चश्रेक, माशि	नागौर	नागौर

नोट :- क्र.सं. 8, 19, 21, 26, 32, 34, 39, 40, 42, 49, 51, 53, 61, 66 एवं 70 के प्रकरणों में राज्य सरकार द्वारा वांछित शिथिलन प्राप्त हैं।

(गौरव अग्रवाल)
I.A.S.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

Rajasthan Education Department

क्रमांक : शिविरा–माध्य / अनु.नियु. / 3901 / नियुक्तिमूल / 2022 / 138–144 दिनांक : 01–12–2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
4. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर
5. समस्त संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा,
6. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) मुख्यालय.............................को उल्लेखित.............................अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र मूल मे ही संलग्न कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश में वर्णित समस्त निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करते हुए रिक्त पद के अनुसार नियुक्ति आदेश जारी करवाकर पालना सुनिश्चित कर जारी आदेशों की प्रति एवं कार्यग्रहण की सूचना इस कार्यालय को प्रेषित करें।
7. श्री .... को देकर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) मुख्यालय .... कार्यालय में देकर पावती प्राप्त करें।
8. स्टाफ आफिसर, निजी अनुभाग (निदेशक)
9. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को आदेश वेब साईट पर अपलोड करने बाबत।
10. रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर